भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/14/Odisha/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 5st September, 2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Odisha,
   Bhubaneswar (Odisha)

2. The Secretary,
   SC & ST Welfare Department,
   Govt. of Odisha,
   Bhubaneswar (Odisha)

3. Collector,
   District-Sundargarh
   (Odisha)

4. Superintendent of Police,
   District- Sundargarh,
   Odisha

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Sundargarh (Odisha) from 24th August, 2017 to 26th August, 2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts-Sundargarh (Odisha) from 24th August, 2017 to 26th August, 2017 for information and necessary action.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Research Officer-In-Charge, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhubaneswar, N-1/297 IRC Village, Bhubaneswar-751015 (Odisha)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

का दिनांक 24 अगस्त 2017 से 26 अगस्त 2017 तक जिला- भुवनेश्वर एवं सुंदरगढ़, ओड़ीशा का क्षेत्रीय दौरा।

दौरा रिपोर्ट :

1.	दौरा करने वाले पदाधिकारी का नाम	सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार
2.	दौरे की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	24 अगस्त 2017 से 26 अगस्त 2017
3.	दौरा किया गया स्थान	भुवनेश्वर एवं सुंदरगढ़, ओड़ीशा
4.	मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण / संगठनों से मिले	1. श्री जुएल ओराव केंद्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, 2. सुश्री सुकेशी ओराव, पूर्व अध्यक्ष, ट्राइफेड 3. श्रीमती मनीषा बनर्जी,अतिरिक्त कलेक्टर, राऊरकेला 4. श्री मंगला किशन, राजगंगपुर विधायक 5. श्री डमरूधर तिर्की,कार्यकारी अध्यक्ष, सरना प्रार्थना सभा, केंद्रीय समिति, राऊरकेला 6. श्री मनीलाल किरकेटा, पूर्व अध्यक्ष एवं संस्थापक, सरना नव युवक संघ, राऊरकेला 7. श्री सुशील लकरा, करमा पूर्व संध्या कार्यक्रम के अध्यक्ष 8. श्री धनेश्वर तिर्की, महासचिव, करमा पूर्व संध्या कार्यक्रम 9. श्री जगोबंधु बेहरा,जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राऊरकेला 10. श्री राजकिशोर दास, सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति विभाग भुवनेश्वर 11. श्रीमती संजोदा, अनुसंधान अधिकारी,अनुसूचित जनजाति विभाग भुवनेश्वर 12. श्री ए॰ के॰ नायक अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एस सी एस टी वेलफेयर एसोशिएसन भुवनेश्वर 13. श्री बंसीधर सेट्टी, महासचिव, भारतीय स्टेट बैंक एस सी एस टी वेलफेयर एसोशिएसन 14. श्री चरन बेहरा, कैम्पेनिंग फॉर सरवाइवल एंड

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

		डिगनिटी (NGO) 15.श्री हिमांशु बेहेरा, सब-कलेक्टर, राऊरकेला; 16.श्री मिर्धा टोपो, परियोजना प्रशासक, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी; 17.श्री फिलिप कूजूर, सफल सामाजिक संस्था के निदेशक एवं विभिन्न जनजाति समाज के प्रतिनिधि,जन प्रतिनिधि,सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि आदि।
5.	दौरा के मुख्य बिन्दु : (भ्रमण के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे)	

दिनांक 24 अगस्त 2017 गुरुवार अपराह्न

1. भुवनेश्वर आगमन, राज्य अतिथि गृह मे विश्राम और विभिन्न जनजातीय प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएँ सुनी, और क्षेत्र की जनजातियों से संबन्धित विभिन्न समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान श्री राजकुमार दास, सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति विभाग तथा संजोदा, अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जनजाति विभाग उनके साथ उपस्थित थे।
2. राज्य अतिथि गृह मे श्री ए॰ के॰ नायक अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक एस सी एस टी वेलफेयर एसोशिएसन तथा श्री बंसीधर सेट्टी, महासचिव, भारतीय स्टेट बैंक एस सी एस टी वेलफेयर एसोशिएसन ने जनजाति समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि बैंक मे आवास ऋण के लिए उन्हे काफी समस्याएं आ रही है। बैंक जनजाति समाज के व्यक्तियों की संपति जमानत के तौर पर नही रख सकते इस वजह से भी ऋण देने मे बैंक द्वारा ये समस्याएँ आ रही है।
3. श्री प्रमोद कुमार मालिक और आशीष कुमार शेट्टी ने अवगत कराया कि 2010 मे सम्पन्न नियुक्ति प्रक्रिया के बाद अभी तक असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर जनजाति कोटे के तहत नियुक्ति नही दी गई है।
4. श्री चरन बेहरा, कैम्पेनिंग फॉर सरवाइवल एंड डिगनिटी संस्था के द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य मे व्यापक स्तर पर वनाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये तेंदू पते का विक्रय और विक्रय अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संदर्भ मे राज्य शासन की ओर से पत्र भी जारी किए गए हैं किन्तु इसका अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा सका है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(राऊरकेला अतिथि गृह मे जनजाति समाज के प्रतिनिधियों से स्थानीय जनजाति वर्ग की समस्याओं के बारे मे जानकारी प्राप्त करते हुये)

दिनांक 25 अगस्त 2017 शुक्रवार पूर्वाह्न

1. **रेलमार्ग से प्रस्थान कर राऊरकेला** - राऊरकेला अतिथि गृह मे आगमन, विश्राम और विभिन्न आगंतुकों, जनजाति प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जनजाति लोगों से मुलाक़ात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हे आयोग की कार्यप्रणाली, जनजाति अधिकारों और सामाजिक योजनाओं के बारे मे जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान सुश्री सुकेशी ओराव, पूर्व सदस्य, महिला आयोग; श्री हिमांशु बेहेरा, सब-कलेक्टर, राऊरकेला; श्री बारीक, परियोजना प्रशासक, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी; श्री फिलिप कूजूर, सफल सामाजिक संस्था के निदेशक आदि उपस्थित थे।
2. जनजाति प्रतिनिधियों ने अतिथि गृह मे मुलाक़ात कर अवगत कराया कि जिले मे जनजातियों को कई तरह की समस्याएँ हैं। इसमे सबसे प्रमुख समस्या है जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का समुचित क्रियान्यवयन नही किया जाना। अधिकांश लोगों की जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है, किन्तु उन्हे उचित तरीके से पुनर्वासित नही किया गया और पर्याप्त मुआवजा नही दिया गया। वे आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबी आदि से जूझ रहे हैं। उनके पुनर्वास वाली जगह पर ये सभी सुविधाएं नदारत है। मुआवजा के रूप मे अधिगृहीत जमीन के स्वामी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, इसमे भी काफी अनियमितता की गई है, कई परिवारों को नौकरी ही नही दी गई है कई जगह सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नौकरी प्रदान कर दी गई है। साथ ही अधिकांश लोगों को उनकी जमीन का पट्टा भी नही निर्गत किया गया है। इसके अलावा अधिगृहीत जमीन व्यापक पैमाने पर खाली रखी गई है जिसका कोई उपयोग नही किया जा रहा है। इस संदर्भ मे इनकी मांग है कि ऐसी जमीन उसके वास्तविक भूस्वामी को वापस की जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uik
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Trib
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. अतिथि गृह मे आम जनजाति लोगो के साथ मुलाक़ात की और उन्हे जनजाति अधिकारों, सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। साथ ही आयोग की कार्यप्रणाली, इसके अधिकार और जनजाति वर्ग इसका कैसे लाभ उठाएँ इस विषय पर आम जनजाति पुरुषों और महिलाओं को अवगत कराया गया। इस दौरान उनकी लिखित और मौखिक शिकायतें प्राप्त की गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों से संबन्धित करीब 100 आवेदन प्राप्त किए गए। इन शिकायतों मे प्रमुख रूप से जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास, मुआवजा, जमीन के पट्टे, मूलभूत सुविधाएं आदि से संबन्धित शिकायतें थी।
4. करीब 200 ग्रामीणों के हस्ताक्षर के साथ ग्राम हमीरपुर के श्री सोनू बड़ाइक ने एक आवेदन दिया जिसमें उल्लिखित है कि उनके गाँव मे किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान नही की गई है। गाँव वालों की जमीन का अधिग्रहण कर स्टील प्लांट तो बना दिया गया है किन्तु उनके गाँव मे किसी तरह की कोई सुविधा प्रदान करने की सुध कोई नही ले रहा। उनके गाँव के बगल से गुजरने वाली कोएल नदी के पानी का उपयोग स्टील प्लांट करता है, किन्तु गाँव मे पीने के पानी की बदहाल स्थिति के बावजूद कंपनी पीने के पानी की व्यवस्था नही कर रहा। गर्मी के दिनों मे जब नदी के पानी की आवश्यकता गाँव वालों को अधिक होती है प्लांट के प्रयोग के लिए इसका पानी रोक लिया जाता है। इसके अलावा प्लांट के अवशिष्ट इसी नदी मे छोड़े जाते हैं जिससे गाँव वालों को जल के उपयोग से अधिक परेशानी होती है।
5. बरहबान्स निवासी श्री देमे ओराव ने आवेदन देकर शिकायत की है कि जिले मे पेसा कानून का क्रियान्यवयन प्रभावी नही है। सुंदरगढ़ जिला अनुसूचित क्षेत्र के रूप मे घोषित है, किन्तु यहाँ इससे संबन्धित पेसा कानून प्रभावी ढंग से लागू नही किया जा रहा है।
6. श्री रबीदास ओराव ने शिकायत की कि एट्रोसिटी मामले मे वर्ष 2013 मे एफआईआर किया था, किन्तु इस मामले मे अभी तक किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नही दी गई है।

(राऊरकेला, सुंदरगढ़ मे आदिवासियों की अधिगृहीत खाली पड़ी जमीन का दौरा करते हुये और विस्थापित जनजातियों से समस्याएँ सुनते हुये)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 25 अगस्त 2017 शुक्रवार अपराह्न

1. सुंदरगढ़ जिले के आम जनजाति ग्रामीणों की अधिगृहित जमीन जो प्रयोग मे नही है, उनका दौरा कर लोगों से समस्याएँ सुनी। इन ज़मीनों मे अधिकांश भूमि रेलवे और स्टील प्लांट के अधिकार क्षेत्र मे है जो खाली पड़ी है।
2. इसी क्रम मे **टांगरपली सेमरा बस्ती** गाँव का दौरा किया। वहाँ उपस्थित करीब 200 ग्रामीणों, महिलाओं और पुरुषों के साथ चर्चा की उनकी समस्याएँ सुनी और गाँव की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन लोगों को सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक किया। उन्हे उनके अधिकारों और नवीन कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इस गाँव मे पहुँच के लिए पक्की सड़क नही है, कोई स्कूल नही है, कोई आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र नही है। लोगों की आजीविका का कोई स्थायी साधन नही है। स्वरोजगार, ऋण आदि की कोई उपयुक्त व्यवस्था नही है। वन भूमि पर काबिज जनजाति लोगों को प्रशासन द्वारा भूमि अधिकार पत्र जारी नही किया गया है। इस संदर्भ मे अतिरिक्त कलेक्टर को जानकारी देते हुये तत्काल समस्या निवारण करने और भूमि अधिकार पत्र जारी कराने के लिए कहा गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस गाँव के किसी भी ग्राम पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के साथ जुड़े नही है और ना ही ग्राम पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय की मतदाता सूची मे इनका नाम दर्ज है। इनका नाम केवल विधान सभा और लोक सभा की मतदाता सूची मे दर्ज है।

(कुकुड़ा, बिसरामे जनजाति लोगों की समस्याएं सुनते हुये)

3. **राऊरकेला के एक गाँव कुकुड़ा, बिसरा**मे जनजाति लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनी गई। गाँव के श्री डेमे ओराम ने आवेदन देकर बताया कि इस गाँव के जनजातियों की जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार ने राऊरकेला स्टील प्लांट के लिए 1954 मे किया, इसमे से कुछ जमीन 1957 मे सरकार ने वापस कर दी और

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

पुनः 1958 मे इसी जमीन को रेलवे के लिए दुबारा अधिग्रहण किया। उस समय से करीब 1500 एकड़ जमीन बिना किसी उपयोग के खाली पड़ी है। साथ ही जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उन्हे अभी तक उचित मुआवजा नही दिया गया है और ना ही रेलवे की भूमि अधिग्रहण नीति व आदेश के अनुकूल विस्थापित परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई है। इस गाँवमे यह भी पाया गया कि पुनर्वास किए गए जगह पर किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं प्रदान नही की गई है। मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या से यहाँ की आदिवासी आबादी जूझ रही है।

4. इसके पश्चात **आर एस कौलोनी, सुंदरगढ़** गाँव का दौरा किया गया। यहाँ पर रेलवे के अधिकार क्षेत्र मे काफी जमीन खाली पड़ी है। साथ ही पुनर्वास किए गए लोगों को उनकी जमीन का पट्टा अभी तक नही दिया गया है। ये लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्कूल, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए इन्हे काफी दूर जाना पड़ता है। इनकी जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया उसमे काफी जमीन खाली पड़ी है। ये जिस जमीन पर खेती कर रहे थे उस पर भी पेड़ पौधे लगा कर खेती के अनुपयुक्त बनाया जा रहा है। उनकी समस्याओं को जानने और देखने के पश्चात करीब 300 ग्रामीणों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, आयोग की कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक किया गया। उन्हे उनके अधिकारों और नवीन कानूनी जानकारी प्रदान
5. की गई। उनके साथ किसी तरह के अन्याय के प्रति न्याय दिलाने की बात कही गई।

(हमीरपुर गाँव मे विस्थापित जनजाति महिला की समस्या सुनते हुये)

6. दौरे के दौरान आगामी **गाँव हमीरपुर** था, जहाँ श्री रंगटू सिंह ने यह शिकायत की कि उनकी निजी जमीन पर बिजली विभाग पावर सबस्टेशन का निर्माण कर रहा है। जबकि इस जमीन का समस्त दस्तावेज़ आवेदक के पास है। इस संदर्भ मे तत्काल

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कलेक्टर को मामले की जानकारी देते हुये समुचित कार्यवाई कर उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए कहा गया। उन्होने आश्वासन दिया कि इस पर यथाशीघ्र कार्यवाई की जा रही है।

7. **हमीरपुर गाँव** मे दुर्भाग्यवश दौरे के समय ही एक जनजाति के असामयिक दुर्घटनावश निधन के पश्चात शोक का माहौल था। वह व्यक्ति किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा था जहां उसकी मृत्यु किसी दुर्घटनावश हो गई और उस कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी कोई ज़िम्मेदारी नही ली, ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्रदान की। एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्यवाई भी नही की गई। इस संदर्भ मे तत्काल कार्यवाही करते हुये संबन्धित विभाग और पुलिस अधीक्षक से बात कर आर्थिक सहायता दिलाने और दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। अतिरिक्त कलेक्टर को अतिथि गृह मे बुला कर इस पर मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुये तत्काल जिला प्रशासन द्वारा मृतक के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने और तत्सम्बंधी कार्यवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही दोषियों के खिलाफ उचित प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के लिए भी कहा गया।

दिनांक 25 अगस्त 2017 शुक्रवार सायंकाल

1. राऊरकेला मे सरना नव युवक संघ, राऊरकेला नामक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रम करमापूर्व संध्या मे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराव जी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप मे शामिल हुई। इस दौरान राजनगर विधायक श्री मंगला किशन, श्री दमबारूधर तिर्के, ट्राइफेड की पूर्व अध्यक्ष सुश्री सुकेशी ओरांव, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुशील लकरा, महासचिव श्री धनेश्वर तिर्के आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। यह कार्यक्रम जनजातीय समाज मे अत्यंत लोकप्रिय है और आस्था का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका आयोजन पिछले 19 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। जनजाति समाज किसी भी शुभ कार्यों की शुरुआत इस उत्सव के पश्चात करते हैं। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री जी के साथ सामाजिक सांस्कृतिक सोवेनियर हरियारी का विमोचन किया गया। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र मे महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जनजाति समाज के प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। विभिन्न विधाओं यथा, नृत्य, कला आदि मे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनजाति कलाकारों को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि चूंकि यह क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है और इनके सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों या कार्यक्रमों के लिए एक भवन की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही है, अतः यहाँ एक भवन निर्माण की अनुमति दी जाय। इस पर माननीय मंत्री जी ने भवन निर्माण मे सहयोग का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित हजारों जनजाति समाज के लोगों को संबोधित किया। आयोग की उपलब्धि, कार्यप्रणाली और जनजाति समाज के विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों की चर्चा की। जनजाति समाज के विकास मे आयोग की भूमिका पर जानकारी दिया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(करमा पूर्व संध्या मे कार्यक्रम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी के साथ)

दिनांक 26 अगस्त 2017 शुक्रवार पूर्वाह्न

1. रेलमार्ग से प्रस्थान कर भुवनेश्वर- भुवनेश्वर आगमन, राज्य अतिथि गृह मे विश्राम और कुछ जनजातीय प्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान श्री राजकुमार दास, सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति विभाग तथा संजोदा, अनुसंधान अधिकारी, अनुसूचित जनजाति विभाग उनके साथ उपस्थित थे।
2. भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। वहाँ कार्यालय की मौजूदा समस्याएँ सुनी उसके समाधान के निर्देश दिये। कुछ महत्वपूर्ण शिकायतों की फाइलें जांच की गई। गंभीर और तत्काल समाधान करने वाली शिकायतों की फाइल मुख्यालय प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

8. अनुवर्ती कार्यवाई किया गया एवं किसके द्वारा:
(जिसके साथ मुद्दे पर एन. सी. एस. टी. अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाई की जानी है, उस अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ विनिर्दिष्ट सिफ़ारिशों का उल्लेख किया जाय)

1. राज्य मे और प्रमुख रूप से सुंदरगढ़ जिले मे व्यापक स्तर पर वनाधिकार कानून का उल्लंघन हो रहा है। ग्राम सभा के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये तेंदू पत्ते का विक्रय अधिकार जनजातियों को नही देकर अन्य लोगों को दिया जा रहा है। चूंकि वनाधिकार जनजाति समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है और इसका अनुपालन प्राथमिकता से सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुये शासन को समुचित कार्यवाही और इसके अनुपालना के लिए अनुशंसा की जाती है।
2. पेसा कानून का अनुपालन अभी तक सुंदरगढ़ जिले मे प्रभावी नही है। इस संदर्भ मे

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

राज्य शासन से अनुशंसा की जाती है कि इसकी तत्काल जांच कराई जाये और इसका क्रियान्यवयन सुनिश्चित किया जाय।

3. प्रवास के दोनों जिलों भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ मे यह पाया गया कि यहाँ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया का समुचित क्रियान्यवयन नही किया गया है। अधिकांश लोगों की जमीन अधिग्रहण की जा चुकी है, किन्तु उन्हे उचित तरीके से पुनर्वासित नही किया गया और पर्याप्त मुआवजा नही दिया गया। वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मुआवजा के रूप मे अधिगृहीत जमीन के स्वामी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, इसमे भी काफी अनियमितता की गई है, कई परिवारों को नौकरी ही नही दी गई है कई जगह सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नौकरी प्रदान कर दी गई है। इस संदर्भ मे राज्य शासन से अनुशंसा की जाती है कि जमीन अधिग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया, दिये गए मुआवजे और पुनर्वास की गंभीरता पूर्वक उच्चस्तरीय टीम के द्वारा जांच की जाय और विसंगतियों तथा अनियमितता का तत्काल निदान किया जाय।
4. दोनों जिलों भुवनेश्वर और सुंदरगढ़ मे यह पाया गया किवन भूमि पर काबिज अधिकांश लोगों को उनकी जमीन का पट्टाप्रशासन द्वारा अभी तक निर्गत नही किया गया है। अतः जिला प्रशासन से अनुशंसा की जाती है कि उन सभी परिवारों की निशानदेही कर उचित तरीके से भूमि अधिकार दिलाया जाय।
5. प्रवास के दौरान यह पाया गया कि अधिगृहीत जमीन व्यापक पैमाने पर खाली रखी गई है जिसका कोई उपयोग नही किया जा रहा है। इस संदर्भ मे राज्य शासन से अनुशंसा की जाती है कि ऐसी जमीन जो प्रयोग मे नही है उसे उन जनजातियों को आवंटित की जाय जो भूमिहीन है।
6. पुनर्वास किए गए लोगों को जमीन का पट्टा देने, पुनर्वासित जगह पर मूलभूत सुविधाएं जैसे - सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुये जिला प्रशासन से इसे सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है।
7. हमीरपुर गाँव के बगल से गुजरने वाली कोएल नदी के पानी का उपयोग स्टील प्लांट करता है, किन्तु गाँव मे पीने के पानी की व्यवस्था नही कर रहा। गर्मी के दिनों मे जब नदी के पानी की आवश्यकता गाँव वालों को अधिक होती है प्लांट के प्रयोग के लिए इसका पानी रोक लिया जाता है। इसके अलावा प्लांट के अवशिष्ट इसी नदी मे छोड़े जाते हैं जिससे गाँव वालों को जल के उपयोग से अधिक परेशानी होती है। इस संदर्भ मे राज्य शासन से और जिला प्रशासन से नदी जल के बेहतर उपयोग और जल बँटवारे के लिए निर्धारित नीति लागू कराने और ग्रामीणों की जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की अनुशंसा की जाती है।
8. टांगरपली सेमरा बस्ती गाँव मे पहुँच के लिए पक्की सड़क नही है, कोई स्कूल नही है, कोई आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र नही है। लोगों की आजीविका का कोई स्थायी साधन नही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस गाँव के लोगों का किसी भी ग्राम पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के साथ जुड़ाव नही है और संबन्धित मतदाता सूची मे ग्रामीणों का नाम दर्ज नही है। राज्य शासन से और जिला प्रशासन से यह अनुशंसा की जाती है कि तत्काल इस गाँव मे मूलभूत सुविधा प्रदान की जाय।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

और इन्हे भी ग्राम पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय के साथ जोड़ा जाय।

9. टांगरपली सेमरा बस्ती गाँव मे वन भूमि पर काबिज जनजाति लोगों को प्रशासन द्वारा भूमि अधिकार पत्र जारी नही किया गया है। इस संदर्भ मे अतिरिक्त कलेक्टर को जानकारी देते हुये तत्काल समस्या निवारण करने और भूमि अधिकार पत्र जारी कराने के लिए कहा गया। चूंकि यह वनाधिकार कानून से संबन्धित है और संवेदनशील मुद्दा है अतः राज्य शासन से और जिला प्रशासन से इस दिशा मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये उन सभी जनजातियों को भूमि अधिकार पत्र जारी कराये जाने की अनुशंसा की जाती है।
10. राऊरकेला के एक गाँव कुकुड़ा, बिसरामे जनजाति लोगों की जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार ने राऊरकेला स्टील प्लांट के लिए 1954 मे किया, इसमे से कुछ जमीन 1957 मे सरकार ने वापस कर दी और पुनः 1958 मे इसी जमीन को रेलवे के लिए दुबारा अधिग्रहण किया। उस समय से करीब 1500 एकड़ जमीन बिना किसी उपयोग के खाली पड़ी है। साथ ही जिन लोगों को विस्थापित किया गया था उन्हे अभी तक उचित मुआवजा नही दिया गया है और ना ही रेलवे की भूमि अधिग्रहण नीति व आदेश के अनुकूल विस्थापित परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी गई है। यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार और रेलवे इस मुद्दे को गंभीरता से ले और सभी विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे तथा बिना उपयोग वाली खाली जमीन विस्थापित परिवार को वर्तमान नीति और कानून के तहत वापस करे।
9. कुकुड़ा, बिसरागाँवमेपुनर्वास किए गए जगह पर किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं प्रदान नही की गई है। मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुये जिला प्रशासन से इसे सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जाती है।
10. हमीरपुर गाँव मे श्री रंगटू सिंह की निजी जमीन पर बिजली विभाग पावर सबस्टेशन का निर्माण कर रहा है। इस जमीन का कोई मुआवजा भूस्वामी को नही दिया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर को इस मामले की जानकारी देते हुये समुचित कार्यवाई के लिए कहा गया। उन्होने आश्वस्त किया कि इस पर यथाशीघ्र कार्यवाई की जा रही है।
11. हमीरपुर गाँव मे एक जनजाति व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटनावश हो गई और जिस कॉन्ट्रैक्टरके यहाँ वह कार्य कर रहा था उसने इसकी कोई ज़िम्मेदारी नही ली, ना ही उसे किसी तरह की कोई आर्थिक सहायता प्रदान की। इस संदर्भ मे जिला प्रशासन से तत्काल कार्यवाही करते हुये आर्थिक सहायता दिलाने और दोषियों पर कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके

(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi